

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
 (पीढारसीन अधिकारी लोक अदालत / कैंप कोर्ट) कैंप

---:आदेश:--

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्री डा. पी. के. शर्मा व भू.अ.नि. श्री. म. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार श्री. / नायब तहसीलदार श्री. की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान गू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुरारण में ग्राम श्री. काकर तहसील, श्री. जिला, राजस्थान सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 288/28, 112, 127, 290, 292 वर्तमान में दर्ज खाते के निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.सं.	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	288, 128, 112, 127, 290, 292 34	नवलखिह पुज श्रीम. खिह रावत	नवलखिह पुज श्रीम. खिह रावत

(*Signature*)
 सहायक कलक्टर,
 उपखण्ड अधिकारी, भीम
 खण्ड अधिकारी एवं
 जिला-राजसमन्ध
 पदेन सहा. कलक्टर,

संख्या :- 125/235

दिनांक :- 10/10/25

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार श्री. को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री. नवल खिह S/o श्रीम. खिह रावत को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(*Signature*)
 सहायक कलक्टर,
 उपखण्ड अधिकारी, भीम
 खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,
 जिला-राजसमन्ध
